

थाना हल्दौर:- दिनांक 30.08.2020 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा थाना हल्दौर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 230/2020 धारा 498ए/304बी/201 भा0दं0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अभियोग में वांछित पुष्पेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय राम सिंह निवासी ग्राम लाडपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।



थाना शेरकोट:- दिनांक 30.08.2020 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त जसपाल पुत्र करनैल नि 0ग्राम मधपुरी थाना बढ़ापुर जिला बिजनौर को 42 ली0 अवैध कच्ची शराब व भट्टी(मय उपकरण) के साथ गिरफ्तार किया गया । जिस के संबंध में मु0अ0संख्या 238/20 धारा60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना हल्दौर:- दिनांक 29.08.2020 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त ऋषभ पुत्र सुभाष निवासी ग्राम फैजीपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को मय एक अदद तमंचा 315 बोर के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 232/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है।



थाना रेहड:- दिनांक 29.08.2020 को थाना रेहड पुलिस द्वारा 2 नफर अभियुक्त 1- मंगत लाल पुत्र दरिया राम निवासी ग्राम भोगपुर थाना बड़ापुर जिला बिजनौर 2- सूखा पुत्र कुलविंदर निवासी बेलखेड़ा थाना स्योहारा जिला बिजनौर से अवैध शराब बरामद होने के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 105/20 व अपराध संख्या 106 /20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।



थाना स्योहारा:- दिनांक 29.08.2020 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त अवनीश कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम पितु पूरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को एक तमंचा 315 बोर माय एक कारतूस जिंदा 315 बोर के गिरफ्तार किया गया । जिस के संबंध में मु0अ0सं0 432 / 2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

